

respectfully submit that there are certain procedures and rules. Any document which is to be transacted and to be given must be authenticated. Secondly, once the Minister has said that he has not received any reply or any letter or any communication from the State Government, it becomes the property of the House. If the Minister has deliberately misled, then it is a case of privilege and this cannot be disposed of between the two persons, that is, the Minister and the private Member. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I agree with you. ... (Interruptions)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, most respectfully I submit, please do not act as a conduit for transferring a letter from a private Member to a Minister. Please do not do so. The Chair is much above these things. ... (Interruptions) ... It should never be done. ... (Interruptions) ... Please withdraw that letter. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: All right, I am withdrawing that letter. ... (Interruptions)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The Chair has a much larger prestige. ... (Interruptions)...

श्री सिकन्दर बख्त : आथान्टिकेट तो उनको करना है।

MR. CHAIRMAN: You please send that letter again to them separately. ... (Interruptions)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Please do not give any direction. ... (Interruptions) ... Please do not give any direction. We are going to take it up in a different forum. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Where do we stand now? He has said something which I have not heard. ... (Interruptions)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am Winging a privilege motion against the Minister. Therefore, please do not make.

any commitment. You receive the privilege notice and thereafter in your wisdom you dispose it of because if you make yourself committed in either way, it will be embarrassing to the whole House. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: All right. ... (Interruptions) ... I do not commit either way till I have seen it. Now, next question.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, what has happened to this Question?

श्री सभापति : वह हो गया। (व्यवधान) नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) 20 मिनट हो गये हैं इस पर। (व्यवधान)

श्री राजूभाई ए० परमार : सभापति जी, इस क्वेश्चन का क्या हुआ? ... (व्यवधान)

Sir, what will be the fate of this question?

राष्ट्रीय विद्युतकरघा विकास निगम की स्थापना किया जाना

*302. श्रीमती शबाना आजमी :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिआः†

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युतकरघा उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय विद्युतकरघा विकास निगम की स्थापना की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विगत में सरकार ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो इस मांग को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस निगम की स्थापना कब तक किये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा—पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जी हां। भारतीय विद्युतकरघा परिसंघ सहित विद्युतकरघा उद्योग के प्रतिनिधियों ने अन्य बातों के

†सभा में यह प्रश्न श्री बलवन्त सिंह रामूवालिआ द्वारा पूछा गया।

साथ-साथ यार्न की आपूर्ति करने और मूल्यवर्द्धन के बाद फैब्रिकों को बचाने के संबंध में बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए 5000 करोड़ रु० की निधि से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन०एच०डी०सी०) के अनुरूप ही राष्ट्रीय विद्युतकरघा विकास निगम की स्थापना करने की मांग की थी।

इस प्रस्ताव पर 5000 करोड़ रु० की निधि का सृजन करने, इमदादी कीमतों पर यार्न उपलब्ध कराने, विद्युतकरघा बुनकरों से फैब्रिक खरीदने, इसकी बिक्री के लिए तंत्र का सृजन करने और अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास करने के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों को आवश्यक अंतर्निविष्टियाँ उपलब्ध कराने के लिए एन०एच०डी०सी० के कार्य निष्पादन जैसे मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना है। इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी, इस बीच सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रस्तावित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि से भी विद्युतकरघों के आधुनिकीकरण और उनकी प्रौद्योगिकी के उन्नयन का मुद्दा हल हो जाएगा। विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है और उनमें कम्प्यूटर सहायित डिजाईन संबंधी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने विद्युतकरघा बुनकरों के लाभार्थ विद्युतकरघा विकास व निर्यात संवर्धन परिषद (पीडीईएक्ससीआईएल) की भी स्थापना की है तथा विद्युतकरघा क्षेत्र को पृथक निर्यात कोटा दिया गया है। यह 1992 में 3% के स्तर पर था जिसे 1997 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, in my question I have asked for the setting up of a National Powerloom Development Corporation and the hon. Minister is saying about the setting up of a corpus fund of Rs. 5,000 crores. It seems, the Government is not taking the textile industry seriously. The situation is, out of the maximum sick units in the country, the textile industry stands at number one. Sir, about 45% to 49% of the total units of 4025 are sick in the textile areas. The reports of I.D.B.I., I.F.C.I. and I.C.I.C.I. have established this fact. Many proposals have been submitted to the Ministry for the last so many years, including the recommendations of the Abid Hussain Committee, etc. I wanted

that the hon. Minister should come out with a clear cut assurance in this regard. Sir, of the three various sectors, the mills, the handloom sector and the powerloom sector produce cloth in the country. The situation requires immediate attention and that is need for the setting up of a National Powerloom Development Corporation. Will the Government set it up or not? If you are going to set it up, when are you going to set up?

श्री काशीराम राणा : सभापति जी, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि इंडस्ट्री में थोड़ी सिकनेस है। (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : थोड़ी नहीं, बहुत है।

श्री काशीराम राणा : जहाँ तक पावरलूम सेक्टर का सवाल है, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 1995-96 में 17201 मिलियन स्केअर मीटर का प्रोडक्शन हुआ था जो 1997-98 में 20303 मिलियन स्केअर मीटर हो गया। पावरलूम सेक्टर को स्ट्रेंग्थन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं। नेशनल पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन न होने के बावजूद भी हम और भी स्कीमें चला रहे हैं जिससे पावरलूम सेक्टर स्ट्रेंग्थन हो। जहाँ तक आपने नेशनल पावरलूम डेवलमेंट कारपोरेशन के बारे में पूछा है कि हम क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में पूछा है कि हम क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं जरूर कहूंगा—

The Ministry of Textiles has already prepared a draft scheme and circulated it to all the State Governments for their comments in this regard. Unfortunately, no response from the State Governments has been received so far by the Government.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, in reply to the question, the hon. Minister has also informed that the Government has set up a Powerloom Development and Export Promotion Council. I wanted to know whether the manufacturers are also involved in the functioning or in carrying out the work allotted to this Council?

श्री काशीराम राणा : सभापति जी, पावरलूम सेक्टर का जहाँ तक सवाल है और नेशनल पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन की बात है, उसके लिए मैं इस

सदन को कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री आफ टेक्सटाइल नयी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने जा रही है। मैं जरूर आश्वासन दूंगा कि जो नेशनल पावरलूम डेवलपमेंट के बारे में आपने बात बताई है और वर्कर्स और वीकर्स के बारे में जो बात है, इसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे।

श्री जलालुद्दीन अंसारी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि —

“हथकरघा बुनकरों को आवश्यक अंतर्निविष्टियां उपलब्ध कराने के लिए एन०एच०डी०सी० के कार्य निष्पादन जैसे मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना है”। इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है जबकि यह प्रस्ताव था कि 5 हजार करोड़ रुपए की निधि सृजित करके इससे राष्ट्रीय विद्युत करघा विकास निगम की स्थापना की जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अंतिम निर्णय उनका कब होगा? इस संबंध में ये सदन को बताएं कि कब तक इस संबंध में वे अंतिम निर्णय इस निगम के संबंध में लेना चाहते हैं?

†श्री जलाल الدین انصاری : سبھا پتی

مہودے، مانیہ منتری جی نے اس پرسن کے اثر میں کہا ہے کہ:

بتہ کرگھا بنکروں کو آوشیک انت نروشیاں

اپلبدھ کرانے کے لئے این۔ایچ۔ڈی۔سی۔ کے کارئے
نشیادن جیسے مدعوں کے پریپریشر میں وچار کیا
جانا ہے۔

اس سمبندھ میں ابھی تک کوئی انتم نرنے

نہیں لیا گیا ہے جب کہ یہ پرستاتھا کہ ۵ ہزار کروڑ
روپے کی ندھی سرجت کر کے اس سے راشٹریہ
ودھت کرگھا

وکاس نگم کی استھاپنا کی جائیگی۔ میں مانیہ

منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ انتم نرنے ان

کاکب ہوگا؟ اس سمبندھ میں یہ سدن کو بتائیں کہ

کب تک اس سمبندھ میں وا انتم نرنے اس نگم

کے سمبندھ میں لینا چاہتے ہیں؟

श्री काशीराम राणा : सर, मैंने पहले ही बता दिया कि सभी स्टेटा गवर्नमेंट्स को भी हमने ड्राफ्ट स्कीम बनाकर भेजी है। फिर भी पावरलूम सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने के लिए और जो भी अभी कुछ रिसेशन चल रहा है या कुछ कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए हमने सारे देश में पावरलूम सर्विस सेंटर्स चलाए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर्स भी हमने शुरू किए हैं। पावरलूम वीवर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी बनायी है। इतना ही नहीं बल्कि आज जरूरत है पावरलूम सेक्टर में जो आब्सोलीट मशीनरी है उसको माइनाइज करने की। उसमें नयी टेक्नालाजी को एप्लाइ करने की जरूरत है और इसके साथ साथ जो स्किल है, ट्रेड स्किल है वह भी करनी है। तो इसके लिए — माडर्नाइजेशन आदि के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के टेक्नालोजिकल अपग्रेडेशन फंड पर गवर्नमेंट एक विचार कर रही है। इससे मुझे लगता है कि ये सब सवाल साल्व होंगे।

SHRI S.B. CHAVAN: Ms. Chairman, Sir, I would like to put a very small question about the efforts made by local entrepreneurs, who happened to be weavers. This is a question related to Texcom, which was a very famous institution in Nanded district of Maharashtra State, but somehow because of mismanagement the whole thing has not been properly handled. The difficulty was about providing enough work for the weavers in that area. And at the initiative of weavers themselves they have been pur-

† [] Transliteration in Arabic Script.

chasing discarded looms from the textile industry. Efforts have been made to approach the NCDC and I must say that, by and large, the NCDC have been very helpful in the matter. But, at the same time the approach towards the cooperative seems to be rather not very favourable. That is why I am putting this question to you whether you will please look into the matter and support the efforts made by the local weavers, who because of unemployment would like to have these looms put up in that areas, which, in fact, the Texcom requires for running it properly.

श्री काशीराम राणा : सर, जैसा माननीय सदस्य जी ने बताया — उन्होंने नान्देड़ का एक किस्सा भी बताया, इस बारे में जरूर We will look into the matter very seriously and whatever suggestions come from the hon. Member, would be definitely given due consideration.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the powerloom sector has to be strengthened and technological skills have to be upgraded in order to compete with the international market. But, there are 13 items which have been reserved in the handloom sector. These classified items are being manufactured by the power-loom sector, while they are branded as handloom products and pumped into the market. So, what efforts is the Government planning to make to avoid this, so that weavers are not thrown out of employment?

श्री काशीराम राणा : सर, पावरलूम सेक्टर एण्ड हैंडलूम सेक्टर — इसमें हैंडलूम सेक्टर के जो वीवर्स हैं वे ऐसे रूरल एरिया में हैं जिसमें गरीबी है। इसके लिए

We cannot compare the powerloom sector with the handloom sector.

तो इसलिए जो 13 आइटम्स रिजर्व रखी हैं हैंडलूम के लिए वह इसके लिए जरूरी है और इसके लिए सरकार ने यह रखा है।

श्री राघवजी : माननीय सभापति जी, यह नेशनल पावरलूम कार्पोरेशन की मांग आज से नहीं, कई वर्षों से उठ रही है और इस बीच में तीन सरकारें चली गई, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को दोष नहीं दे सकता,

क्योंकि आपको तो जुमा-जुमा सौ दिन हुए हैं। भले ही उसमें विलंब हुआ है लेकिन आपने बताया कि नई पालिसी बनेगी तब उसमें आप कंसिडर करेंगे। लेकिन आपने जो टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन फंड वाली बात कही हुई है वह प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जाएगा, यह बताने का कष्ट करें?

श्री काशीराम राणा : सर, यह टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन फंड के बारे में सेक्रेटरी लेवल की एक मीटिंग में उसकी सैंक्शन हो चुकी है। अब वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो ओपीनियन मंगाने हैं उसका प्रोसेस चल रहा है।

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी को यह मालूम है कि आज कपड़े के मामले में पावरलूम सेक्टर सब से बड़ा सेक्टर है और तकरीबन 70 फीसदी कपड़ा पावरलूम पर तैयार होता है। आज पावरलूम इंडस्ट्री की जो दो-तीन चीजें तैयार होती हैं उसमें एक रेशम भी इस्तेमाल होता है। श्री देवेगौड़ा जी के जमाने में पिछली जो गवर्नमेंट रहा है उसने पाबंदी लगा दी कि बाहर से जो रेशम आता रहा उसकी इंपोर्ट, उसकी दरामद जो है उसमें बाधा आने लगी। वह रेशम कम आ रहा है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर, मऊ, वाराणसी जो इसके बहुत बड़े सेंटर हैं, वहां लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। वहां हिन्दू-मुसलमान, दोनों ने एक जलसा मुनक़िद किया। इस नाते विश्वनाथ जी मंदिर में हिन्दुओं की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई और ज्ञानवासी मस्जिद में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई। उन्होंने प्रार्थना की, दुआ की कि रेशम की मंहगाई और बुनकरों की बेकारी दूर हो। क्या इसकी जानकारी, इसका इल्म मंत्री जी को है? अगर नहीं हैं तो मेरी जानकारी को मान कर वह बताएं कि इस सिलसिले में, रेशम के आयात के सिलसिले में उसके इंपोर्ट या बुनकरों को रेशम मुहैया कराने के सिलसिले में यह सरकार क्या कर रही हैं? एक दूसरा प्रश्न भी मैं करना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से यह मसला चल रहा है कि पावरलूम बुनकर जो हैं उनके लिए बिजली की सप्लाई की साथ-साथ उसके रेट फिक्स कर दिए जाएं और मीटर हटा दिये जाएं, क्योंकि बिजली की चोरी के कारण उससे सरकार को भी काफी नुकसान होता है और बुनकरों को भी परेशानी होती है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह सरकार इस सिलसिले में क्या करने जा रही है?

†مولانا حبیب الرحمن نعمانی: ماننیہ سہا پتی جی، میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منتری جی کو یہ معلوم ہے کہ آج کیڑے کے معاملے میں پاورلوم سیکٹر سب سے بڑا سیکٹر ہے اور تقریباً 40 فیصدی کیڑا پاورلوم پر تیار ہوتا ہے۔ آج پاورلوم انڈسٹری کی جو دو تین چیزیں تیار ہوتی ہیں اس میں ایک ریشم بھی استعمال ہوتا ہے۔ شری ڈیوگوراجی کے زمانے میں پچھلی جو گورنمنٹ رہی ہے اس نے پابندی لگا دی کہ باہر سے جو ریشم آتا رہا ہے اس کی امپورٹ، اس کی درآمد جو ہے اس میں بادھا آنے لگی ہے۔ وہ ریشم کم آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اتر پردیش میں مبارکپور، مٹو، وارانسی جو اسکے بہت بڑے سینٹر ہیں وہاں لوگ بھک مری کے شکار ہو رہے ہیں۔ وہاں ہندو مسلمان دونوں نے ایک جلسہ منعقد کیا اس نا طے مندر میں ہندوؤں کی بہت بڑی بھیڑ جمع ہوئی، اور گیان والی مسجد میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہوئی انہوں نے پرا تھنا کی، دعا کی، کیا اسکی جانکاری اسکا علم منتری جی کو ہے اگر نہیں ہے تو سیری جانکاری کو مان کر وہ بتائیں

کہ اس سلسلے میں ریشم کے آیات کے سلسلے میں اس کے امپورٹ یا بنکروں کو ریشم مہیا کرانے کے سلسلے میں یہ سرکار کیا کر رہی ہے؟ ایک دوسرا سوال بھی میں کرنا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ پاورلوم بنکر جو ہیں ان کے لئے بجلی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ اس کے ریٹ فکس کردئے جائیں اور میٹر ہٹا دئے جائیں کیونکہ بجلی کی چوری کے کارن اس سے سرکار کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے اور بنکروں کو بھی کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کیا ان دونوں باتوں پر چار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہی ہے؟

श्री काशीराम राणा : महोदय, जहां तक पावरलूम सैक्टर में जो प्रोडक्शन है वह टोटल प्रोडक्शन का 55 परसेंट है माननीय सदस्य ने जो बताया इतना ही नहीं जो टोटल एक्सपोर्ट हैं इसमें पावरलूम सैक्टर से जो क्लथ एक्सपोर्ट हो रहा है वह 48 परसेंट है। जहां तक सिल्क का सवाल है डिमांड और सप्लायी के बीच थोड़ा शार्टेज है और यह शार्टेज कैसे दूर किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट जरूर सोचेगी। साथ-साथ आपने पावरलूम के बारे में जो बताया तो आपका जो सुझाव है उसे हम ध्यान में रखेंगे।

श्री मोहम्मद सलीम : सभापति महोदय, अभी नोमानी जी का जो सवाल था उसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ शार्टेज है सिल्क की सप्लायी और डिमांड में, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मुबारकपुर और बनारस में पिछले दो साल से काफी दिक्कत है, यह नहीं कि आपकी सरकार आई इसलिए है, लेकिन जब फैसला होता है तो उसका असर

तो होता रहता है, इसलिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वह यह है कि पावरलूम डिवेलपमेंट कार्पोरेशन आप बनायेंगे या नहीं। वैसे आप हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आपके डिपार्टमेंट में कई दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी आप कार्पोरेशंस बनाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जो लोग काम करते हैं, चाहे वे पावरलूम में काम कर रहे हों या हैंडलूम में काम कर रहे हों, उनके साथ ये तमाम जो कार्पोरेशंस और गवर्नमेंट से जो बजटरी एलोकेशंस होते हैं, उनके भी तालमेल में बड़ी दिक्कत हो जाती है और यह सिल्क के मामले में भी ऐसा ही है। तीन-चार गुप्स हैं व्यापारी हैं जो पूरे को कंट्रोल करते हैं और जो रीयल हैंडलूम वीवर्स हैं उनको सही वक्त पर यार्न नहीं मिलता। सही वक्त पर नहीं मिलता और वह भूखे मारे जा रहे हैं। इसी तरह से पावरलूम के बारे में भिवंडी वगैरा के पूरे क्षेत्र में एक-डेढ़ साल से बड़ी क्राइसिस है। उन को मिलने वाले यार्न की कीमत इतनी फलकुएट होने लगी है कि हर तरफ तो उन के बनाए प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ उन को यार्न नहीं मिलता है। इसलिए रियल ग्रासरूट में काम करने वाले वीवर्स हैं। इसलिए रियल ग्रासरूट में काम करने वाले वीवर्स हैं, फिर चाहे वे हैंडलूम वीवर्स हों या पावरलूम वीवर्स हों, उन को कुछ राहत मिले, इस के लिए आप क्या योजनाबद्ध तरीका अपनाएंगे? पिछले तीन-चार साल से उन के हालात बिगड़े हैं तो उन के संबंध में आप उन्हें इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन अपनाएंगे?

†श्री محمد سلیم: اپ سہا پتی مہودے، ابھی نعمانی صاحب جی کا جو سوال تھا اس کے جواب میں منتری مہودے ن کہا کہ کچھ شارٹیج ہے شلک کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں، خاص کر کے پوروی اتر پردیش میں اعظم گڑ مبارکپور اور بنارس میں پچھلے دو سال سے کافی دقت ہے، اس لئے جو او ریجنل کونیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاورلوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آپ بنائینگے یا نہیں۔ ویسے آپ ہینڈلوم، ہینڈی

کرافٹ آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں کئی دوسرے ڈیپارٹمنٹس میں بھی آپ کا رپوریشنس بناتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر جو لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ پاورلوم میں کام کر رہے ہوں، ان کے ساتھ یہ تمام جو کارپوریشن اور گورنمنٹ سے جو بجٹری ایلوکیشنس ہوتے ہیں، ان کے بھی تال میل میں بڑی دقت ہو جاتی ہے اور یہ سلک کے معاملے میں بھی نایسا ہی ہے۔ تین چار گروپس ہیں ویپاری ہیں جو پورے کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو ریئل ہینڈلوم ویورس ہیں ان کو صحیح وقت پر یارن نہیں ملتا۔ صحیح وقت پر نہیں ملتا اور وہ بھوکے مارے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاورلوم کے بارے میں بھیونڈی وغیرہ کے پورے شیتروں میں ایک ڈیڑھ سال سے کرائسز ہے۔ ان کو ملنے والے یارن کی قیمت اتنی فلکچوایٹ ہونے لگی ہے کہ ایک طرف تو ان کے بنائے پر وڈکٹس پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کو یارن نہیں ملتا ہے۔ اس لئے جو ریئل گراسروٹ میں کام کرنے والے ویورس ہیں پھر چاہے وہ ہینڈلوم ویورس ہوں یا پاورلوم ویورس

ہوں، ان کو کچھ راحت ملے، اسکے لئے آپ کیا
یوجنا بد طریقہ اپنائیں گے پچھلے تین چار سال
سے ان کے حالات بگڑے ہیں تو ان کے
سمبندھ ہیں آپ انہیں فوری پہنچانے کے لئے
کیا پلان آف ایکشن اپنائیں گے؟

श्री कांशीराम राणा : सर, पावलूम और हैंडलूम
सेक्टर में रोजगार निर्माण करने का काफी
पोटेंशियल है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि वीवर्स
को ऊपर उठाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम
है? मैंने सवाल के जवाब में पहले ही बताया है कि
वीवर्स की हैल्प के लिए हम ने बहुत सारी स्कीम्स
बनाई है और जहां हम टैक्सटाइल की नई पॉलिसी
बनाने जा रहे है तो उस में भी इस पर जरूर विचार
होगा क्योंकि एक तो हम को वीवर्स की कंडीशन को
ऊपर उठाना है और साथ-ही-साथ आने वाले वर्षों
में पावरलूम सेक्टर, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स और
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंटरनेशनल कंपटीशन में
टिक सके, इस के लिए भी यह जरूरी है, कि नई
टैक्सटाइल पॉलिसी के अंतर्गत हम इस संबंध में
अच्छे विचार करें।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, the
hon. Minister has agreed that there is a
competition between the powerloom and
the handloom sectors. The handloom
weavers are from the rural areas and they
deserve all encouragement and support.
That is why some items have been reserved
for this sector.

Similarly, the khadi sector also comes
under protection. The people who make
khadi cloth are also weavers. It is being run
with the support of the Government. On the
one hand you help them through loans and
subsidies. Simultaneously, you create a
competition. Therefore, would you consider
reserving certain items for the khadi sector
so that unnecessary competition is avoided
between these sectors. Also, we need not give
subsidy unnecessarily.

When you are convinced that there is a
competition and when you want that the
weaker sections should be developed,
they should be helped, why don't you
give protection to them? That is why you
had reserved thirteen items for the
handloom sector. But the khadi sector is
one which is giving employment to fifty-
eight lakh people in the country. They
are also contributing to the economy of
the country. These people are also from
the rural areas, totally uncovered areas.
These people are at the grassroot level.
Therefore, they need to be given
protection. Only giving subsidy would not
help. I would like to know from the hon.
Minister whether the Government would
consider reserving certain items for the
khadi sector also and avoid competition
between the handloom, the powerloom
and the khadi sectors so that there could
be more production and, as a
consequence, more employment
opportunities in the khadi sector.

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, khadi falls
under the Ministry of Industry. It does not fall
under the Ministry of Textiles.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: That is
the tragedy. The weaving sector is bifurcated.
While handloom is handled by the Ministry of
Textiles, khadi is handled by the Ministry of
Industry. I do not know why you do not
consider khadi also as a textile. Is it that a
khadi weaver is different from a handloom
weaver? Both are handlooms. But you do not
consider khadi as handloom. That is why I put
the question. Even if it falls under the
Ministry of Industry, would you sort it out
and consider the weaver of khadi cloth also as
a handloom weaver?

SHRI KASHIRAM RANA: So far as
Handloom is concerned, we will

definitely think over the suggestion of the hon.
Member.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Thank
you.